Relation between liberty, equality and Justice.

Q. न्याय का स्वतंत्रता और समानता के साथ सम्बन्ध बतावें।

न्याय एक बहुमुखी अवधारणा है जो अनेक धारणाओं से उलझी है। स्वतंत्रता एवं समानता न्याय के ही दो पहलू है। बार्कर के अनुसार " यह अंतिम सिद्धान्त है जो स्वतंत्रता तथा समानता का उद्देश्य ही न्याय की प्राप्ति है इतिहास साक्षी है कि स्वतंत्रता एवं समानता न्याय की माँग का आधार रहा है। दास-प्रथा, आर्थिक शोषण, अधिनायकवाद, उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव, नारी-उत्पीड़न आदि के विरुद्ध न्याय के नाम पर ही संघर्ष हुए। समानता तथा स्वतंत्रता इन सभी संघर्षों के केन्द्र मे निहित है। स्पष्ट है कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय के बीच अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है

है स्वतंत्रता और न्याय के बीच सम्बन्ध.

स्वतंत्रता का चरम लक्ष्य न्याय की प्राप्ति है। पूर्ण स्वतंत्रता होने पर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता न तो सामाजिक हित के प्रतिकूल है और न भिन्न। वे तो एक दूसरे के पूरक है। विशेष परिस्थिति मे सामाजिक कल्याण की दृष्टि से स्वतंत्रता को सीमित की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

उदाहरणस्वरूप बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंधन आरोपित की जाती है। ऐसा राष्ट्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। सरकार का यह कदम न्यायपूर्ण माना जायेगा। पुनः न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के ~~लिए~~ उद्देश्य से धनी वर्ग पर टैक्स लगाकर निर्धनों को सुविधाएं देना तथा जमींदारों से भूमि छीन-भूमिहीनों के बीच वितरीत करना भी सरकार का न्यायोचित कदम है। यह कहना असंगत होगा कि स्वतंत्रता का मूल्य चुकाकर न्याय के नाम पर यह कदम उठाया गया। सत्य यह है कि अन्याय के उन्मूलन हेतु स्वतंत्रता का परिसीमन न्यायोचित एवं तर्कसंगत है।

न्याय और समानता के बीच सम्बन्ध -

अरस्तू के अनुसार 'न्याय समानता है', क्योंकि बिना तर्क के सभी व्यक्ति ऐसा विश्वास करते हैं। ~~फ्रांसीसी~~ फ्रांसीसी नागरिक अधिकारों की घोषणा पत्र की दृष्टि से "व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान अधिकारों के साथ पैदा होता है और स्वतंत्रता तथा समान अधिकार लेकर रहता है। सामाजिक भेद केवल सार्वजनिक उपयोगिता पर आधारित हो सकता है।

Scanned with CamScanner

स्पष्ट है कि सामाजिक समानता की ~~स्थिति~~ स्थिति में ही न्यायपूर्ण समाज की स्थापना सम्भव है। प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है और प्रत्येक व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। जाति, वंश, लिंग, रंग, भाषा आदि किसी आधार पर उनमें विभेद नहीं किया जाना चाहिए। न्याय का आधार समानता का यही रूप है। परन्तु दलित, उत्पीड़ित एवं पिछड़े वर्गों के लोगों सरकार पृथक कानून बनाकर उन्हें विशेष सुविधाएँ प्रदान कर सकती है। सरकार के इस कदम को अन्यायपूर्ण नहीं, बल्कि न्यायोचित माना जायेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतंत्रता और समानता के बीच उचित एवं विवेकपूर्ण सामंजस्य ही न्याय का आधार स्तम्भ है। ~~इसीलिए~~ ठीक ही कहा गया है कि न्याय एवं अधिकार के बीच समानता के साथ मेल नहीं खाते हैं, जहाँ समान स्वतंत्रता के दावे की माँग की जाय। एक न्यायपूर्ण समाज में स्वतंत्रता और समानता की जरूरत समान रूप से है। एक दूसरे से पृथक कर सच्चे अर्थों में न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती।

Scanned with CamScanner